# :: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमॉकः– शिविरा/ मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 2017–18 दिनॉकः 16.07.2017 द्वारा याचिकार्थी श्री सन्तोष कुमार मलिन्दा, पद–प्रधानाध्यापक, पदस्थापन स्थान– राउमावि0 भदलिया मौलासर नागौर को पदौन्नति पर **ब–जरिए काउसिलिंग**, सहमति पत्र के आधार पर राउमावि0 बुधिया–कोटडी उदयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था।

श्री सन्तोष कुमार मलिन्दा ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय् राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं. 12587/2017 दायर की। याचिकार्थी ने मुख्य रूप से 66 वर्षीय पिताजी के गम्भीरर एवं असाध्य रोग रक्त–कैसंर से ग्रसित होने के साथ साथ पार्किसन्स से भी त्रस्त होने के आधार पर, स्वंय का पदौन्नति पर पदस्थापन, वर्तमान विद्यालय में ही नव–सृजित प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापित किये जाने की प्रार्थना की है। माननीय् उच्च न्यायालय ने दायर उक्त एस.बी. सिविल याचिका संख्या –12587//017 श्री सन्तोष कुमार मलिन्दा बनाम सरकार में **दिनॉक 31–07–2017 को** यह **अन्तरित आदेश** दिया गया कि याचिकार्थी के संबंध में विभाग द्वारा जारी पदौन्नति पर पदस्थापन आदेश दिनांक 16–07–17 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा, केवल याचिकार्थी का पदौन्नति पर स्थान परिवर्तन स्थगित किया गया ना कि उनकी पदौन्नति।

याचिका में माननीय् न्यायालय द्वारा पारित उक्त स्थगनादेश दिनांक 31–07–2017 की पालना नहीं किये जाने, अन्तरिम आदेशो की अनुपालना में विभाग द्वारा अग्रिम **निर्णय के अध्याधीन किसी प्रकार का संशोधन/ समायोजन आदेश जारी नहीं होने** के आधार पर, याचिका में माननीय् न्यायालय के अग्रिम आदेश दिनांक 29–11–2017 के अनुसार "याचिकार्थी श्री सन्तोष कुमार मलिन्दा को दिनांक 30–11–2017 तक आवश्यक रूप से सक्षम–आदेश जारी करते हुए कार्यग्रहण किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।"

अतः माननीय् न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29–11–2017 की अनुपालना में याचिकार्थी को राउमावि0 भदलिया मौलासर नागौर में प्रधानाचार्य के रूप में पदौन्नति पर कार्यग्रहण किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही उक्त विद्यालय में पूर्व से कार्यरत **श्री राधेश्याम, प्रधानाचार्य राउमावि0 भदलिया मौलासर नागौर को** माननीय् न्यायालय के निर्णय की अनुपालनार्थ, **प्रकरण में अन्तिम निर्णयाधीन** राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लीलियां– रियां जिला नागौर में प्रधानाचार्य–उमावि के रिक्त पद पर समायोजित किया जाता है।

**याचिकार्थी श्री मलिन्दा पदौन्नति पर नवपदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भदलिया मौलासर नागौर में तथा श्री राधेश्याम राउमावि लीलियां–रियां नागौर प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर कार्यग्रहण किया जाकर, शाला दर्पण से सम्बधित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्रॉज किया जाना सुनिश्चित करावें।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

**क्रमॉकः– शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/याचिका–12587/2017/सन्तोष मलिन्दा/ दिनॉकः** 30/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :–

01 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
02 संयुक्त विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, राज. जयपुर
03 सम्बधित शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक।
04 सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक।
05 जिला शिक्षा अधिकारी,विधि–माध्यमिक जयपुर ।
06 सहायक निदेशक–विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही हेतु।
07 सम्बधित संस्था प्रधान/कार्मिक को तत्काल पालनार्थ।
08 श्री सन्तोष कुमार मलिन्दा याचिकार्थी को पालनार्थ।
09 गार्ड पंजिका/ रक्षित पत्रावली हेतु।

संयुक्त निदेशक–कार्मिक